

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1007/2022

अनवान : –

1. देवीलाल पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. फुलाराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
2. काशीराम पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
3. जुगलाल पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
4. हंसराज भाम्भु पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
5. कमला पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
6. लिछमा पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
7. सावित्री देवी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
8. चन्द्रकला पुत्री फुलाराम फुलाराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी वादी

श्री अजयगुरु अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 04.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 149/127 की कुल 3.9974 है0, रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता स0 53/48 की कुल 26.1910 है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति-रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 8 का प्रतिवादी स0 1 के साथ उक्त वादी भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 5 ता 8 जसे कि वादी व प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 की बहिन एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी स0 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है। मुताबिक समझौता रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 149/127 की कुल 3.9984 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता स0 53/48 के ख0न0 593/1 की 1.8970 हैक्ट, ख0न0 664 की 2.7320 हैक्ट, ख0न0 814/1 की 5.7160 हैक्ट, ख0न0 831/1 की 4.2370 हैक्ट कुल 14.6620 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 को खातेदार काश्तकार घोषत किये तथा रोही मौजा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता स० 53/48 के ख०न० 1258/1429 की 2.7570 हैक्ट, ख०न० 1261/1534 की 8.8520 हैक्ट, कुल 11.6009 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम यथावत रखी जावें। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व 8 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया की रोही मौजा भावलेदसर तहसील नोहर के खाता स० 149/127 की कुल 3.9984 है० भूमि एवं रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता स० 53/48 की कुल 26.1910 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मुताबिक राजीनामा के रोही मौजा भावलेदसर तहसील नोहर के खाता स० 149/127 की कुल 3.9984 है० भूमि एवं रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता स० 53/48 ख०न० 593/1 की 1.8970 है०, ख०न० 664 की 2.7320 है०, ख०न० 814/1 की 5.7160 है०, ख०न० 831/1 की 4.2370 है०, कुल 14.5820 है० भूमि वादी एवं प्रतिवादी स० 2 ता 4 बहिब खातेदार काशतकार है एवं रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता स० 53/48 के ख०न० 1258/1429 की 2.7570 है०, ख०न० 1261/1534 की 8.8520 है० कुल 11.6009 है० भूमि प्रतिवादी स० 1 के यथावत रहेगी। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। उक्त भूमि मुताबिक राजीनामा वादी व प्रतिवादी स० 1 ता 4 नाम दर्ज की जाती है तो हम पक्षकारान को कोई उजर व एतराज नहीं है, हमारी पूर्णतया सहमति है। हम पक्षकारान भविष्य में उक्त भूमि बाबत कोई दावा आपत्ति नहीं करेंगे। प्रतिवादी सं० 9 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य मिसल बन्दोबस्त रोही मौजा भावलदेसर सम्वत 2029-2038 खाता स० 108 प्रदर्श-1, मिसल बन्दोबस्त रोही मौजा धानसिया सम्वत 2029-38 खाता स० 260 प्रदर्श-2, रोही मौजा भावलदेसर खाता स० 149/127 सम्वत 2070-73 प्रदर्श-3, जमाबंदी रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन सम्वत 2075-78 खाता स० 53/48 प्रदर्श-4, असल प्रति सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श-5, असल प्रति शपथ पत्र सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श-6 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण का आपसी राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी स० 2 ता 8 का प्रतिवादी स० 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया

स0 5 ता 8 अपने हक हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 तां 4 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। वादी अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 8 द्वारा स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 149/127 की कुल 3.9974है0, रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर के खाता स0 53/48 की कुल 26.1910है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 8 द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि यदि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादीया स0 5 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के आपसी राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 149/127 की कुल 3.9974है0, व रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर के खाता स0 53/48 की कुल 26.1910है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 149/127 की कुल 3.9974है0 भूमि एवं रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर के खाता स0 53/48 के ख0न0 593/1 की 1.8970है0, ख0न0 664 की 2.7320है0, ख0न0 814/1 की 5.7160है0, ख0न0 831/1 की 4.2370है0, कुल 14.5820है0 भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर के खाता स0 53/48 के ख0न0 1258/1429 की 2.7570है0, ख0न0 1261/1534 की 8.8520है0 कुल 11.6009है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 41.5.23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-धानसिया

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 1007/2022

अनवान : -

1. देवीलाल पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. फुलाराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
2. काशीराम पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
3. जुगलाल पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
4. हंसराज भाम्भु पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
5. कमला पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
6. लिछमा पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
7. सावित्री देवी पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
8. चन्द्रकला पुत्री फुलाराम फुलाराम जाति जाट निवासी ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के आपसी राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 149/127 की कुल 3.9974है0, व रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता स0 53/48 की कुल 26.1910है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 149/127 की कुल 3.9974है0 भूमि एवं रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता स0 53/48 के ख0न0 593/1 की 1.8970है0, ख0न0 664 की 2.7320है0, ख0न0 814/1 की 5.7160है0, ख0न0 831/1 की 4.2370है0, कुल 14.5820है0 भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता स0 53/48 के ख0न0 1258/1429 की 2.7570है0, ख0न0 1261/1534 की 8.8520है0 कुल 11.6009है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-धानसिया